<u>सुरक्षित निर्णय।</u>

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 30 / 2017

1. श्रीमतीण् बिंद्रा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री महावीर सिंह निवासी
ग्राम एवं पोस्ट झंडी चौर पट्टी.हल्दी खाता तहसील
कोटद्वार जिला पौडी गढ़वाल
2. जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर सिंह निवासी
ग्राम एवं पोस्ट झंडी चौरए पट्टी.हल्दी खाताए तहसील
कोटद्वारए जिला पौडी गढ़वाल
3. लक्की सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर सिंहए निवासी ग्राम एवं
पोस्ट झंडी चौर पट्टी.हल्दी खाता तहसील कोटद्वार
जिला पौडी गढ़वाल

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. कुमारी मकनी पुत्री स्वर्गीय महावीर सिंहए निवासी ग्राम एवं
पोस्ट झंडी चौर पट्टी.हल्दी खाताए तहसील कोटद्वार
जिला पौडी गढ़वाल
2. कुमारी देवश्वरी उर्फ सविता पुत्री स्वर्गीय महावीर सिंह
निवासी ग्राम एवं पोस्ट. झंडी चौरए पट्टी हल्दी खाता
तहसील कोटद्वार जिला पौडी गढ़वाल
3. श्रीमतीण् जानकी देवी पत्नी सतेन्द्र सिंहए पुत्री स्व
महावीर सिंह निवासी ग्राम विशनपुरए पट्टी साने।
तहसील कोटद्वार जिला पौडी गढ़वाल।
4. श्रीमतीण् दीप्ति देवी उर्फ पिंकी पत्नी योगेन्द्र सिंह पुत्री
स्वर्गीय महावीर सिंह निवासी ग्राम बोनशाल तल्ला पट्टी
मोंढादलस्यूं जिला पौडी गढ़वाल
5. श्रीमती बाबी देवी पत्नी श्री जय प्रकाश पुत्री स्व
महावीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रेशम माजरी
;खादर डोईवाला देहरादून

6. ग्राम प्रधान ग्राम कुल्हाड पाटी लंगूर पौडी

गढ़वाल

7. ग्राम प्रधान ग्राम उत्तरी झंडीचौड़ कोटद्वार

पौडी गढ़वाल

....उत्तरदाता

सला

श्री एन0के0 पपनोई पुनरीक्षणकर्तागण के वकील

श्री रमन कुमार शाह उत्तरदाताओं के वकील

निर्णयः–

माननीय लोकपाल सिंह, जे0

1. यह सिविल पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिवादियों की ओर से दायर 2015 की सिविल अपील संख्या 17 बिंद्रा देवी एवं अन्य बनाम कुमारी मकानी और अन्य, में अपर जिला न्यायाधीश कोटद्वार गढ़वाल के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.08.2016 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके माध्यम से उक्त सिविल अपील खारिज कर दी गई थी तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन कोटद्वार गढ़वाल द्वारा पारित दिनांक 31.08.2015 के निर्णय एवं डिक्री, जिसके माध्यम से उत्तरदाताओं/वादीगण के द्वारा पेश उत्तराधिकार आवेदन पत्र की पुष्टि की गई थी।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 मकनी देवी ने न्यायाधीश सीनियर डिवीजन कोटद्वार गढ़वाल के समक्ष एक आवेदन पत्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु यह कहते हुए दिया कि मृतक महावीर सिंह भारत में बेलदार के पद पर व्यापार संवर्धन संगठनए प्रगति मैदानए प्रगति भवनए नई दिल्ली में तैनात था। उनकी मृत्यु 05.02.2008 को हुई। आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 सेवानिवृत्ति बकाया प्राप्त करने के लिए मृतक ने जारी करने के लिए एक आवेदन दिया उसके नाम पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्रण् आवेदन में उसने बताया कि वह मृतक महावीर सिंहण् की बेटी है विपरीत पक्ष संख्या 1 से 4 मृतक की बेटियाँ हैं, विपरीत पक्ष संख्या 8 पत्नी है और विपरीत पक्ष संख्या 9 और 10 मृतक के पुत्र हैं। पुनरीक्षणकर्ता पार्टी नं.8 श्रीमती बिंद्रा देवी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करायी और कहा कि वह मृतक की विधवा है और प्रार्थना की कि सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान उसे तथा उसके नाबालिग पुत्र लक्की को करने का आदेश किया जाय। पुनरीक्षणकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 में उसकी विवाहित बहनों के साथ मिलीभगत करके तथा तथ्यों को छुपाकर वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसने आगे कहा कि मृतक की पहली पत्नी रामेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद मृतक ने उससे शादी की थी और पुनरीक्षणकर्ता संख्या 3 लक्की उक्त विवाह से उत्पन्न हुआ तथा उनका नाम सेवा अभिलेखों में विधिवत दर्ज किये गये। पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन के बाद विद्वान सिविल जज ;सीनियर डिवीजन कोटद्वार ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसका विवाह पहले राजेन्द्र सिंह से हुआ था तथा पारिवारिक न्यायालय से तलाक की कोई डिक्री नहीं हुई थी। न्यायालय के द्वारा यह पाया गया किपुनरीक्षणकर्ता स्वर्गीय महावीर सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है हालाँकि उक्त विवाह से उत्पन्न जो बच्चा पैदा हुआ है वह एक वैध संतान है। तदनुसार विद्वान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ डिवीजन के द्वारा अपने निर्णय ताीा आदेश दिनांक 31.08.2015 ने आवेदन का निपटारा कर दिया और सेवानिवृत्ति बकाया प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रत्येक के पक्ष में 1/6वां हिस्सा मृतक के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ.साथ पुनरीक्षणकर्ता संख्या 3 का एक आदेश जारी किया

निर्णय/आदेश दिनांकित 31.08.2015 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा एक सिविल अपील क्रमांक 17/2015 अतिरिक्त न्यायालय में सिविल जिला न्यायाधीश कोटद्वार गढ़वाल के न्यायालय में पेश की जो अपीलीय अदालत ने अपने निर्णय/आदेश दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा खारिज कर दी गई।

3. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना तथा रिकॉर्ड पर लाई गई संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील के द्वारा कहा गया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक से अवलोकन नहीं किया गया तथा गलत रूप से यह पाया गया कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 तथा मृतक का विवाह शून्य था जिस कारण उत्तराधिकारी अधिनियम के अधीन उसका उसके समस्त अधिकारों का हनन हुआ है। यह भी कहा गया कि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 कानूनी रूप से मृतक की विवाहित पत्नी नहीं थी लेकिन इस स्थिति में भी वह मृतक के सेवानिवृत्ति पश्चात देयकों को प्रापत करने की हकदार है क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 तथा मृतक ने अपना सम्पूर्ण जीवन पती पत्नी के रूप में व्यतीत किया और उक्त विवाह सेउनके बच्चे यानी लक्की का जन्म हुआ है तथा मतृक के द्वारा सर्विस रिकार्ड में भी उनका नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज कराया गया।

5. इसके विपरीत विद्वान वकील प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा कहा गया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निम्न न्यायालय के द्वारा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और उसने अपने पहले पति से विवाह को विघटित करने के लिए सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं की है,उसके पक्ष में उचित रूप से जारी किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 मृतक कीकानूनी पत्नी थीजिसकी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद स्व0 महावीर सिंह तथा उत्तरदाता संख्या 1 एवं उत्तरदाता संख्या 02 लगायत 05 मृतक महावीर सिंह पुत्रियां होने के कारण कानूनी वारिश हैं एवं उसकी सम्पत्ति तथा सेवानिवृति देयकों की उत्तराधिकारी हैं।

6. मौजूदा मामले में यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 ने दलील दी है कि वह मृतक स्वर्गीय श्री महावीर सिंह की वैध पत्नी है तथा उक्त विवाह से एक बच्चा उत्पन्न हुआ तथा मृतक के द्वारा अपने जीवन काल में उनका नाम सेवा अभिलेखों में दर्ज किया गया था। लेकिन तथ्य यह है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 के द्वारा अपने पहले पति से तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं की थी। इस सम्बन्ध में विचारण अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 1 डीडब्लू 1 के रूप में उपस्थित हुई तथा उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसकी पहली शादी राजेंद्र सिंह हरसिंहपुर 26–27 वर्ष पहले हुई थी किन्तु कुटुम्ब न्यायालय से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की गई थी। डीब्लू 02 अमर सिंह पुनरीक्षणकर्ता के पिता, ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि पुनरीक्षणकर्ता 1 का पहला विवाह विच्छेद की डिक्री से समाप्त नहीं हुआ था।उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय का यह मत सही है कि पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 मृतक महावीर सिंह की अवैध पत्नी थी। हालांकि पुनरीक्षणकर्ता नंबर 3 लक्की सिंह की स्थिति के संबंध में ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वह वैध बच्चा है और मृतक के अन्य बच्चों की तरह सेवानिवृत्ति देय राशि में बराबर हिस्सा पाने का हकदार है। मेरी राय में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रयोजन से पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 तथा उसके पहले पति के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री के अभाव में पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 का स्व0 महावीर सिंह से पश्चातवर्ती विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के आलोक में अवैध/शून्य पाया जाना सही है।

7. यह न्यायालय पुनरीक्षण के अभ्यास में सीपीसी की धारा 115 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जबकि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालयों ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो उन्हें प्राप्त नहीं था या वह कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है या अपने अधिकार क्षेत्र का अवैध रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया

है या कोई तथ्यात्मक अनियमितता की है। ऊपर उल्लिखित तीन आकस्मिकताओं में से किसी की भी अनुपस्थिति में पुनरीक्षण न्यायालय को, निचली अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत निर्णय और आदेश में उपरोक्त प्रकार की कोई अवैधता या तथ्यात्मक अनियमितता नहीं है। इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

8. वर्तमान सिविल पुनरीक्षण, बलहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

लोकपाल सिंह, जे0

25.01.2021

रजनी

25.01.2021